



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59038

19.03.2026 को आरक्षित

23.03.2026 को वितरित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6784 वर्ष 2026

कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रवि शंकर पाठक

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. यह रिट याचिका कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल द्वारा दिनांक 28.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जो एक कार्यालय ज्ञापन के रूप में है और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जारी पूर्व अधिसूचना को रद्द करता है।

2. एक संशोधन आवेदन दायर किया गया है जिसमें यह प्रार्थना जोड़ी गई है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को निर्देश जारी किया जाए कि वे शैक्षणिक सत्र 2019-20 के एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अंतिम फीस का निर्धारण करें, जिसकी अवधि 4.5 वर्ष है, जैसा कि अधिनियम, 2006 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, ताकि संपूर्ण विवाद का उचित और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जा सके।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) के प्रावधानों द्वारा शासित है। अधिनियम, 2006 ('अधिनियम') के अनुसार, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के तहत यह तर्क दिया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ('एमसीआई') ने याचिकाकर्ता कॉलेज को सत्र 2016-17 के लिए छात्रों का नामांकन करने की अनुमति दी थी। उस समय, 14.07.2017 को एक सरकारी आदेश/संचार जारी किया गया था, जिसमें चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया गया था कि, दिनांक 13.07.2017 को आयोजित शुल्क निर्धारण समिति की बैठक के आधार पर, राज्यपाल द्वारा 23 कॉलेजों के चिकित्सा छात्रों के शुल्क निर्धारित करने की मंजूरी दी गई थी, साथ ही यह निर्देश भी दिया गया था कि उन संस्थानों के लिए, जिन्हें आगे के सत्रों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए छात्रों का प्रवेश लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, उन संस्थानों में पहले से पढ़ रहे छात्रों से सत्र 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए शुल्क लिया जाएगा।

4. आगे यह निवेदन किया जाता है कि चूंकि सीटें एमसीआई द्वारा दी गई अनुमति के तहत भरी गई हैं और याचिकाकर्ता को अपने दम पर प्रवेश लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, इसलिए उसने दिनांक 14.07.2017 के सरकारी आदेश/संदेश पारित करने की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और इसलिए उक्त संदेश के तहत निर्धारित शुल्क याचिकाकर्ता संस्थान पर लागू नहीं था। आगे यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 01.07.2019 को एक सरकारी आदेश/संदेश जारी किया गया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि कुछ मेडिकल कॉलेजों, जिनमें याचिकाकर्ता का कॉलेज भी शामिल है, के सत्र 2019-20 के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और सरकार ने अंतरिम उपाय के रूप में पिछले सत्र (2018-19) के लिए लागू शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया था।

5. आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस विवाद के संबंध में कुछ रिट याचिकाएँ दायर की गईं और अंततः यह मामला अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पहुँचा। याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2019 में दायर अपील को 24.10.2024 को स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 14.07.2017 और 01.07.2019 के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अनिश्चितता से बचने के लिए स्पष्ट किया कि यदि समिति निर्धारित समय सीमा चार सप्ताह के भीतर विवादित सत्र का शुल्क निर्धारित करने में विफल रहती है, तो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता 2000 रुपये का शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अंतिम निर्धारण के अधीन, अंतरिम उपाय के रूप में प्रति छात्र 11.30 लाख रुपये।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आगे यह निवेदन किया गया है कि, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 29.11.2024 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमें छात्रों को शुल्क की अंतर राशि, अर्थात् 2.80 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया था, ताकि यह अपीलीय प्राधिकारी के आदेशानुसार 11.30 लाख रुपये हो जाए। निवेदन यह है कि अपीलीय आदेश दिनांक 24.10.2024 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को रिट-सी संख्या 888/2025 (आगज़ खान और 95 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो छात्रों की ओर से दायर की गई थी। और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, जहां याचिकाकर्ता द्वारा दायर एसएलपी संख्या 10978/2025 को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, यह याचिकाकर्ता को राहत प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगा।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि इस बीच, दिनांक 05.02.2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 24.10.2024 के आदेश के अनुसरण में प्रति छात्र 11.50 लाख रुपये निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, इसे दिनांक 28.03.2025 के आदेश/अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। निवेदन यह है कि आज तक, अपीलीय प्राधिकारी के शुल्क पुनर्निर्धारण के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और, भले ही अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो, चूंकि अभी तक शुल्क का कोई पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और दिनांक 28.03.2025 के आदेश/अधिसूचना को रद्द किया जाए तथा शुल्क निर्धारण समिति को शुल्क निर्धारित करने का निर्देश जारी किया जाए।

8. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि रिट याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दिनांक 24.10.2024 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 24.01.2025 को रिट-सी संख्या 888/2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही रद्द कर दिया है। और चूंकि उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 को एसएलपी खारिज करके पहले ही पुष्टि कर दी है, इसलिए प्रस्तुत तर्कों में कोई दम नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि रिट न्यायालय का दिनांक 24.01.2025 का आदेश कुछ विलंब से अपलोड किया गया था, और इसलिए, इसकी जानकारी न होने के कारण, अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.02.2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि, अगले ही महीने इस मामले पर पुनर्विचार किया गया और इस न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 05.02.2025 की पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए दिनांक 28.03.2025 की नई अधिसूचना जारी की गई, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

9. आगे यह निवेदन किया गया है कि शुल्क निर्धारण/पुनर्निर्धारण से संबंधित सभी पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 के आदेश में पहले ही विचार किया जा चुका है और वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहतें रिट न्यायालय के उस निर्णय के विपरीत हैं, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि प्राप्त है और किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है, जैसा कि उसके द्वारा दायर पूरक हलफनामे के पैरा-8 में दर्शाया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका में इसे खारिज करने के अलावा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

10. प्रतिउत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो एसएलपी दायर की गई थीं, एसएलपी संख्या 10978/2025 याचिकाकर्ता द्वारा और दूसरी एसएलपी संख्या 12630/2025 छात्रों द्वारा। यद्यपि, दोनों एसएलपी खारिज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर दी गई, लेकिन 18.11.2025 को एक आदेश बाद में छात्रों द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि 15.09.2025 का आदेश छात्रों को उनके कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपचार प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगा। आगे यह तर्क दिया गया है कि छात्रों ने अपने द्वारा जमा की गई फीस की वापसी के लिए अभ्यावेदन/नोटिस जारी किए हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए उचित राहत प्राप्त करने का एक नया कारण उत्पन्न हो गया है, और अतः, प्रार्थना स्वीकार की जाए।

10. प्रतिउत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो एसएलपी दायर की गई थीं: एसएलपी संख्या 10978/2025 याचिकाकर्ता द्वारा और दूसरी एसएलपी संख्या 12630/2025 छात्रों द्वारा। यद्यपि, दोनों एसएलपी खारिज कर दी गई, लेकिन 18.11.2025 को एक आदेश पारित किया गया जो छात्रों द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर आधारित था। जिसमें कहा गया कि 15.09.2025 का आदेश छात्रों को उनके कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपचार प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगा। आगे यह तर्क दिया गया है कि छात्रों ने अपने द्वारा जमा की गई फीस की वापसी के लिए अभ्यावेदन/नोटिस जारी किए हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए उचित राहत प्राप्त करने का एक नया कारण उत्पन्न हो गया है। अतः, प्रार्थना स्वीकार की जाए।

11. मैंने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

12. स्पष्टतः, शुल्क निर्धारण और उसके पुनर्निर्धारण तथा 01.07.2019 को किए गए अंतरिम समझौते और उसके प्रभाव से संबंधित विवाद पर इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 888/2025

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर दिनांक 24.01.2025 के आदेश द्वारा पहले ही विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 के आदेश द्वारा पुष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने स्वयं इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2025 के आदेश की समीक्षा हेतु एक समीक्षा याचिका, दाखिल की है, जो याचिका अभी लंबित है।

13. छात्रों द्वारा शुल्क वापसी की मांग को लेकर दिए गए अभ्यावेदनों के संबंध में, न्यायालय पाता है कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2025 को विविध आवेदन संख्या 2139/2025 पर पारित आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता के अनुपालन में है। यह आदेश एसएलपी संख्या 10978/2025 में दायर किया गया था और इस पर दिनांक 15.09.2025 को निर्णय लिया गया था। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एसएलपी खारिज करने का आदेश छात्रों को उनके उपचार का पालन करने में बाधा नहीं बनेगा, यदि छात्रों ने याचिकाकर्ता से राशि वापस करने का अनुरोध करके कदम उठाए हैं, तो उनके दावे की योग्यता की जांच वर्तमान रिट याचिका के रूप में अलग कार्यवाही में नहीं की जा सकती है। जहां तक इस बात का सवाल है कि ऐसी मांग जायज है या नहीं, यह रिट याचिका संख्या 888/2025 में दिनांक 24.01.2025 को पारित आदेश से स्पष्ट होता है, जिसकी समीक्षा विचाराधीन है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, यदि रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ स्वीकार कर ली जाती हैं, तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 24.01.2025 को पारित आदेश को बदलने या संशोधित करने के समान होगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है। छात्रों द्वारा उठाई गई मांग से संबंधित राहत, जिसकी उत्पत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2025 को पारित आदेश में हुई है, को वर्तमान रिट याचिका में स्वीकार करना अनुमेय नहीं है। वास्तव में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 24.01.2025 के आदेश में स्पष्ट है कि *अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24.01.2025 के आदेश और/या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज निष्कर्षों को बदलना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन होगा, और इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

15. तदनुसार, ऊपर बताए गए कारणों से याचिका **खारिज** की जाती है।

16. याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार अपने उपचारों का पालन करना और उचित मंच के समक्ष उचित राहत, यदि कोई हो, का दावा करना खुला रहेगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

23 मार्च 2026

ए.के.शुक्ला/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।